कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा

पत्र सं :- 2023/14601/Agra1270/CFO/657 दिनांक :- 15/06/2023

सेवा में,

प्रबंधक
बी.डी.कान्वेंट सीनियर सेकण्ड्री स्कूल
शास्त्रीपुरम्, आगरा

विषय:- **बी.डी. कान्वेंट सीनियर सैकण्ड्री स्कूल**, आगरा (उ.प्र.) का अग्निशमन अनापत्ती प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में |

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक - दिनांक - 11/04/2023

कृपया उपरोक्त विषयक के संदर्भित आपने पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है |

उक्त भवन के मानचित्रों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का भौतिक निरिक्षण अग्निशमन द्वितीय अधिकारी आग्निशमन केंद्र आगरा द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिनकी संस्तुति निरिक्षण आख्या दिनांक - 25/04/2023 का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो निम्न विवरण पाया गया |

2. **भवन की संरचना :-**

   कुल भूखंड एरिया :- 11201 वर्ग मीटर
   निर्मित भूतल एवं प्रथम तल कवर्ड एरिया :- 3995 वर्ग मीटर
   प्रश्नगत भवन की ऊंचाई :- 7 मीटर

3.. **भवन का अधिभोग एवं हेजार्ड श्रेणी-भवन का अधिभोग एन.वी.सी की एजुकेशनल श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया|**

4. **ढांचागत व्यवस्थाएं-**
   i. पहुँच मार्ग :- विद्यालय भवन में 12 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है |
   ii. प्रवेश द्वार :- भवन में एक प्रवेश द्वार है जिसकी चौडाई 4 मीटर है |
   iii. सेटबेक- भवन का सेटबेक निम्नवत है-
      i. अग्रभाग :- 4.00 मीटर
      ii. प्रष्ट भाग :- 6.36 मीटर
      iii. पार्श्व प्रथम :- 5.48 मीटर
      iv. पार्श्व द्वितीय :-7.33 मीटर

नोट- निर्मित भवन शपथ पत्र दिनांक - 10 / 04 / 2023 के अनुसार भवन वर्ष 2019 से पूर्व का निर्मित है इसीलिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 के प्रस्तर 3:11:3 के अनुसार छुट अनुमन्य है |

5. **निकास मार्ग-** प्रश्नगत भवन एक स्टेयर केस है जिनकी चौडाई 1 मीटर है |
6. **अग्निशमन व्यवस्थाएं-** भवन में अग्निशमन सुरक्षा एन.बी.सी 2018 के मानको के अनुसार निम्नवत है|
   i. फायर एक्स्टिंगुशर :- भवन में फायर एक्स्टिंगुशर स्थापित है |
   ii. एग्जिट साइनेज :- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज स्थापित किये गए |

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं- अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, अग्निशमन केंद्र आगरा की संतुति सहित आख्या तथा राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उल्लेखित नियमो का कड़ाई से पालन किये जाने की दशा बी.डी. कान्वेंट सीनियर सैकण्ड्री स्कूल, आगरा (उ.प्र.) विद्यालय भवन का अग्निशमन अन्नापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है |

7. भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदेव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेंटिनेंस शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये |
8. भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाये |
9. किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा |
10. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स का पालन किया जाना अनिवार्य होगा |
11. आपातकालीन स्थिति में अग्निशमन कार्य हेतु विधुत श्रोत प्रथक सर्किट जेनरेटर से करना अनिवार्य होगा |
12. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटी पाए जाने पर इसकी सुचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केंद्र को दी जाये तथा अविलम्ब पाई गयी त्रुटी का निराकरण किया जाये |

13. प्रत्येक छः माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मोक ड्रिल/ फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेंसी ईवक्युशन प्लान बनाया जाये इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाये |
14. .वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्शा फायर प्रिवेंशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा |
15. भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के आभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा |

15/6/23

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
आगरा

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
आगरा / मथुरा